संख्या: 63 /2021/1492324/12-2-2099/194/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

विषय: कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कैश मैमो/क्रेडिट मैमो उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशक नियमावली 1971 को जनपद स्तर पर लागू कर उसका परिपालन सुनिश्चित कराना कृषि रक्षा अधिकारियों का दायित्व है। कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम-15 तथा कीटनाशी (मूल्य, स्टाक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण) आदेश 1986 की धारा-4 के अन्तर्गत विक्रेता तथा क्रेता को कैश मैमों/क्रेडिट मैमो देने तथा तत्संबंधी अभिलेखों को अद्यतन रखने का प्राविधान है।

2. प्रश्नगत संदर्भ में कृषि निदेशालय के पत्र संख्या: 1757 दिनांक 21 अगस्त, 2018 द्वारा निर्देश दिए गए है कि जनपद के समस्त लाइसेन्स धारक कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषकों को कीटनाशी विक्रय के समय अनिवार्य रूप से कैश मैमों/क्रेडिट मैमों जारी किए जाएं, जिसमें कीटनाशी का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित हो।

3. उक्त निर्देशों के पश्चात भी यह संज्ञान में आ रहा है कि सभी कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन नही किया जा रहा है, जिससे कृषकों को अमानक रसायन का विक्रय किया जाना सम्भावित रहता है, तथा, फसलों की क्षति होती है।

4. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं का स्वयं नियमित एवं सघन निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें तथा कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषकों को अनिवार्य रूप से कैश मैमो/क्रेडिट मैमो उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से जनपद में इसका

http://bhasan.gov.in

व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। यदि आपके जनपद में कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कैश मैमों/क्रेडिट मैमों उपलब्ध न कराए जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तथा, मुख्यालय/मण्डल/अन्य अधिकारियों के निरीक्षण में अनियमितता पाई जाती है, तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर, कठोर कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 63/2021/1492324(1)/12-2-2099/194/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
2. संयुक्त कृषि निदेशक, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
4. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
5. समस्त उप कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश,
6. समस्त जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in